जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

जे.एल.एन.मार्ग जयपुर–302004

ई–निविदा दस्तावेज

जवाहर कला केन्द्र द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों मे बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन एवं प्रिन्टिंग कर विज्ञापन के कार्य हेतु दर अनुबंध।

ई–निविदा सूचना संख्या 1513 /2025–26

ई–निविदा सूचना संख्या /2025–26

जवाहर कला केन्द्र द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों मे बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग कर विज्ञापन के कार्य हेतु निर्माताओं, अधिकृत डीलरों तथा संबंधित व्यवसाय कर रहें व्यवहारियों से दो लिफाफा पद्धति दर संविदा हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है :–

क्र. सं.	बोली संख्या	/2025–26
1	उपापन अधिकारी	महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर
2	बोली का संक्षिप्त विवरण	जवाहर कला केन्द्र द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों मे बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग कर विज्ञापन के कार्य हेतु।
3	बोली की अनुमानित लागत	रूपये 47.00 लाख (मय जी.एस.टी.)
4	बोली का प्रकार	ई–निविदा द्वारा दर संविदा
5	बोली विक्रय (क्यूदसवंक) प्रारंभ करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 13/04/26 ~~अपरान्ह~~ ~~बजे~~ **(Can be downloaded from http://sppp.raj.nic.in & jkk.artandculture.rajasthan.gov.in)** **http://eproc.rajasthan.gov.in**
6	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	दिनांक अपरान्ह बजे
7	बोली प्रपत्र की कीमत	रूपये 1,000/– डी.डी./बैंकर्स चैक अतिरिक्त महानिदे ाक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
8	बोली प्रोसेसिंग फीस	बोली प्रोसेसिंग फीस राशि रूपये 500 /- (Rupees Five Hundred Only) डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में "MD, RISL Jaipur" payable at "Jaipur" जमा करना अनिवार्य है।
9	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	लागत राशि का 2 प्रतिशत राशि रूपये 94,000/– डी.डी./बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
10	बोली शुल्क, बोली प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति जमा कराने की दिनांक	दिनांक 23/04/26 को अपरान्ह 02.00 बजे
11	तकनीकी बोली खोलने की दिनांक	दिनांक 23/04/26 को अपरान्ह 03.00 बजे
12	वित्तीय बोली खोलने की दिनांक व समय	तकनीकी बोली में सफल बोली दाताओं को सूचित किया जाएगा।
13	बोली शुल्क जमा कराने/खोलने का स्थान :–	जवाहर कला केन्द्र, जयपुर। जे.एल.एन.मार्ग जयपुर–302004
14	बोली की वैद्यता अवधि	वित्तिय बोली खोलने की तिथि से 90 दिवस

15	अनुबंध अवधि	कार्य आदेश दिये जाने से 2 वर्ष तक
16	आपूर्ति अवधि	आपूर्ति आदेश दिये जाने बैनर/फ्लेक्स प्रिन्टिग से संबंधित कार्य कार्यक्रम तिथि से 2 दिवस पहले अथवा निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर लगाया जाना अनिवार्य होगा।
17	बोली हेतु अधिकृत अधिकारी	अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।

1. बोली दाता, बोली दस्तावेज में उल्लेखित निर्धारित समयावधि में जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के स्टोर अनुभाग से बोली शुल्क जमा करवाकर बोली प्रपत्र प्राप्त कर सकते है, या स्वयं जवाहर कला केन्द्र की वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में बोली शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर) जमा कराना होगा। बोली शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क व बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोली दाता को तकनीकी रूप से असफल माना जायेगा व उनकी वित्तीय बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
2. बोली प्रस्ताव पूर्ण रुप से भरा हुआ मय हस्ताक्षर एवं संलग्नों के साथ उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता के कक्ष में रखे सीलबंद बॉक्स में निर्धारित समय एवं तिथि पर जमा करावें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त बिड बिना किसी विचार के निरस्त कर दी जावेगीं। बोली प्राप्त होने में हुई देरी के लिये विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

अतिरिक्त महानिदेशक
जवाहर कला केन्द्र, जपयुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anuradha Gogi
Designation : Additional Director General
Date: 2026.04.13 13:32:51 IST

RajKaj Ref No.: 21559577

eSign 1.0

Scanned with CamScanner

भाग –1

बोली की मुख्य शर्तें

Important Instructios: The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012" (hereinafter called the Act) and the "Rajasthan Transparency Public Procurement Rules, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which is available on the website of Sate Public Procurement Portal http://sppp.rajasthan.ov.in Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

1. **शुल्क :–**

   i. बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि पृथक–पृथक डी.डी./बैंकर्स चैक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से एवं प्रोसेसिंग शुल्क एम.डी.आर.आई.एस. एल. जयपुर के नाम से देय होगा। इसे बोली प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।

   ii. इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा।

   iii. शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः–

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	विवरण
बोली प्रपत्र का शुल्क	1,000/–	
बोली प्रोसेसिंग शुल्क	500/–	
बोली प्रतिभूति राशि	94,000/–	

2. **बोलीदाता फर्म –** बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग कर विज्ञापन के कार्य की आपूर्ति के संबंध में बोलियां संबंधित वस्तु के निर्माता अथवा निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु प्राधिकृत डीलर, प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत खुदरा विक्रेता द्वारा ही दी जायेगी। **फर्म के पार्टनरशिप/कम्पनी/ट्रस्ट आदि के गठन/पंजीकरण के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।** साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने संबंधी अधिकारी पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए।

3. **पात्रता :–** बोलीदाता फर्म का गत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2022–23, 2023–24, 2024–25 में औसत वार्षिक टर्न ऑवर राशि रूपये 25.00 लाख होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण पत्र स्वरूप फर्म को चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित (सी.ए. के पंजीयन संख्या एवं सील अंकित करते हुऐ) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं सम्बंधित वर्ष की इन्कम टैक्स रिटर्न की सी.ए. द्वारा सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. अनुभवः–

i. बोलीदाता को बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग कर विज्ञापन के कार्य की आपूर्ति के संबंध में किसी राजकीय विभाग/राजकीय उपकमों में गत तीन वित्तीय वर्षो यथा 2022–23, 2023–24, 2024–25 में किसी एक वर्ष में एक कार्यादेश/दर अनुबंध के अन्तर्गत कुल राशि रूपये 10,00,000/– या एक वर्ष में कुल (एक से अधिक कार्यादेश) राशि 15,00,000/– कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा प्रमाण स्वरूप कार्य पूर्णता का संतोष जनक प्रमाण पत्र/भुगतान स्वीकृति आदेश/कार्यादेश/अनुबंध की प्रति बोली प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होगें।

5. दस्तावेजः–

i. बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैद्य जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ii. बोली के साथ पेन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
iii. बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैद्य होना चाहिए।
iv. बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।
v. निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता फर्म का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
vi. बोलीदाता द्वारा बोली की शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप इससे संबंधित परिशिष्ट सत्यापित कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होगे। यदि किसी बोलीदाता ने सशर्त बोली प्रस्तुत की है तो उसकी बोली निरस्त कर दी जायेगी।

6. **वैद्यता** :– बोली की वैद्यता अवधि वित्तीय निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी। बोली की वैद्यता अवधि में नियमानुसार एवं आवश्यकता होने पर वृद्धि की जा सकेगी।

7. **बोली हेतु स्पष्टीकरण** :– उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा लिखित में दिया जा सकता है। स्पष्टीकरणों के लिए समस्त अनुरोध व उनके जवाब समस्त बोली लगाने वालों को सूचित किये जायेगें एवं आवश्यक होने पर राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेगें।

8. **बोली की प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि** :– बोली आमन्त्रण सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. **बोलियों का खोला जाना** :– तकनीकी एवं वित्तीय बोली निर्धारित तिथि पर बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।

10. **बोली दस्तावेजों में परिवर्तन** :– बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि–पत्र जारी कर बोली दस्तावेजों में नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। बोली दस्तावेज इसके लिए उपापन में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना प्रसारित की जायेगी व संस्था द्वारा बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने/संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

11. **बोलियों का मूल्यांकन** :– तकनीकी बोली का मूल्यांकन निविदा में निर्देशित किये गये दस्तावेजों के परिक्षण के आधार पर किया जायेगा। वित्तीय बोली का मूल्यांकन अथवा सफल निविदादाता का निर्धारण न्यूनतम बोली अथवा सबसे लाभप्रद बोली के आधार पर किया जायेगा। न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण हेतु मापदण्ड वित्तीय बोली में अंकित किये गये हैं।

12. सामान्य सूचना :–

i. यदि राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती है तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम–66 एवं पूर्व प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार, राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

ii. विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली **परिशिष्ट – अ, ब, स, तथा annexure A, B, C, D** का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

iii. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होनी पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।

iv. उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।

v. सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं बोली दस्तावेज की शर्ते/प्रावधान लागू होंगे।

13. प्रिन्टिंग कार्य हेतु विशेष शर्ते :–

1. बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य :– केन्द्र में समय–समय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु सामग्री निम्न गुणवत्ता अथवा स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने पर उस सामग्री को उपापन संस्था नियमानुसार अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी एवं क्रय के लिए निविदत राशि एवं क्रय की गई सामग्री की अन्तर राशि संबंधित फर्म से नियमानुसार वसूल की जावेगी।
2. अंकित सामग्री/बैनर/फ्लेक्स प्रिंन्टिग मैटेरियल अवधि स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगी, जिसकी समयावधि का प्रारम्भ कार्यक्रम तिथि से दो दिवस पहले प्रिंन्टिग कर लगाया जाना अनिवार्य होगा एवं निर्देशित स्थान पर करनी होगी।
3. बोली में अंकित बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग के कार्य की आपूर्ति फर्म द्वारा जवाहर कला केन्द्र, जयपुर में किया जाना होगा। इस कार्यालय/विभाग द्वारा चाहे जाने पर जवाहर कला केन्द्र रूम में सफल बोलीदाता/फर्म को अपना कर्मचारी/प्रतिनिधि भिजवाकर उक्त बैनर/फ्लेक्स लगवाया जाना होगा। इस हेतु कार्यालय/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।
4. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग के कार्य की आपूर्ति के लिए आवश्यक होने पर निर्देशित स्थान पर रखना होगा। विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
5. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित की गई बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग के कार्य की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी होने अथवा या अथवा फटे हुए प्रिंन्टिग में कमी होने पर महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

7. बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग के कार्य की आपूर्ति में खराबी होने पर अथवा सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नही किया जावेगा।

14. **डिजाईनिंग कार्य हेतु शर्ते**

1. बोलीदाता द्वारा बैनर/फ्लैक्स, प्रिंटिंग मैटेरियल/विज्ञापन आदि की ग्राफिक डिजाईन का कार्य निर्देशानुसार करवायेंगे।
2. सैम्पल/डिजाईन/फोर्मेट/फाईल साईज केन्द्र के निर्देशानुसार उपलब्ध कराने होंगे।
3. डिजाईन किये गये कार्य का निर्देशित संशोधन उपरान्त अनुमोदन उपरान्त ही प्रिंटिंग करवाया जायेगा।

निम्न तालिकानुसार डिजाईनिंग कार्य करने होंगे :–

क.सं.	कार्य का नाम
1.	**बेनर फ्लैक्स का डिजाईन**
	ड्रॉपडाउन
	स्टेण्डी
	होर्डिंग
	सनबोर्ड (पार्किंग वीआईपी हाउसफुल इत्यादि)
	बैकड्रॉप
	फ्लेक्स डिजाईन (बस/ई–रिक्शा)
	गेट डिजाईन
2.	**प्रिंटिंग मेटेरियल का डिजाईन**
	पोस्टर
	लिफ्लेट (6 फोल्ड)
	फ्लायर्स
	ब्रोशर/बुकलेट (36–40 पेज)
3.	**ऑनलाईन मेटेरियल का डिजाईन**
	फ्लायर्स (दिनांक एवं शेड्यूल)
	बैनर (फेसबुक/इंस्टाग्राम इत्यादि)
	पोस्टर
4.	**विज्ञापन का डिजाईन**
	चौथाई पेज विज्ञापन
	आधा पेज विज्ञापन
	पूरा पेज विज्ञापन
	पिज्ञापन एन. आई.टी.
5.	**बैजेस डोरी डिजाईन सहित**
6.	**सोविनियर डिजाईन**
7.	**निमंत्रण पत्र मय लिफाफें**
8.	**प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट)**

15. सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद समस्त प्रपत्रों/परिशिष्टों/अनुलग्नकों को पूर्ण रूप से भरकर ही बोली प्रस्तुत की जावें।

16. निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा बोली के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) संलग्न किया जाना आवश्यक है।

17. फर्म को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ-पत्र निविदा मे प्रस्तुत करना होगा।

18. बोली में अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये। निविदा में चाहे गये दस्तावेज सुव्यवस्थित रूप से पृष्ठांकन करते हुए व बिड के प्रारम्भ में इंडेक्स बनाकर प्रस्तुत किये जाये।

19. उपरोक्तांकित शर्तों एवं विभागीय बोली **परिशिष्ठ-अ.ब.स. तथा annexure A, B, C, D** में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।

अतिरिक्त महानिदेशक,
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anuradha Gogi
Designation : Additional Director General
Date: 2026.04.13 13:32:51 IST

RajKaj Ref No.: 21559577

eSign 1.0

Scanned with CamScanner

भाग–2

बोली हेतु विशेष शर्ते

1. राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षण माल की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में डिजाईन एवं प्रिन्टिंग कार्य हेतु पंजीकृत वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होगें जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन।। अभिस्वीकृति (EM-11) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना होगा। उक्त उद्यमियों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वित्त विभाग द्वारा RTPP-2013 नियम–33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के समस्त प्रावधान लागू होंगे एवं अधिसूचना में निर्देशित शपथ पत्र या छूट हेतु निर्देशित वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही इसे माना जायेगा। इसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।

2. **बोली प्रतिभूति राशिः–**

   i. बोली प्रतिभूति राशि उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। बोली हेतु लागत राशि रूपये 47.00 लाख का 2 प्रतिशत राशि रूपये 94,000/- जमा कराने होंगे। राजस्थान के डिजाईन एवं प्रिन्टिंग कार्य हेतु पंजिकृत लघु उद्योगो की स्थिति में यह प्रदाय के लिए प्रदत मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी।

   ii. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभाग / उपक्रमों / कंपनी / बोर्ड को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नही है, किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्दीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।

   iii. राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन।। अभिस्वीकृति उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो, के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन, अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नही दिया जायेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 में अंकित **फार्म 'बी'** के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

iv. बोली प्रतिभूति का समपहरण बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जाऐगा।

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड) यदि बोली लगाने वाला अधिनियन और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

अन्य शर्ते एवं प्रावधान आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 42 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।

3. दरे :–

i. बोली हेतु दर वित्तीय बोली परिशिष्ठ 'स' के अनुसार ऑनलाईन ई–प्रोक पर प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी त्रुटि, शब्दों व अंकों में भिन्नता होने पर बोली निरस्त की दी जायेगी।

ii. बोली में दर अंकित करते समय GST दर सम्मिलित कर अंकित की जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करे एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

iii. बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें ही दी जायें।

iv. सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नहीं दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

v. बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

vi. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जित्तके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

4. स्पेसिफिकेशन :–

i. प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं बोली शर्तों में वर्णित निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मापदण्ड/सैंपल के पूर्णतया अनुरूप होगी। ऐसे मामलों में जहां कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।

ii. यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुएँ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

iii. अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 07 दिवस के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 07 दिवस के पश्चात विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात् बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट–फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

iv. बोलीदाता द्वारा परिशिष्ठ 'स' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

5. निरीक्षण :–

i. वस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं।

ii. रद्द करना :– निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएँ अनुमोदित नही की जायेगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

6. माल की आपूर्ति :–

i. बोलीदाता सप्लाई के समय प्रिन्टिंग मेटेरियल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके।

ii. परिवहन के लिए उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

iii. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी यह बोली सूचना एवं प्रपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक में दिये गये निर्देशानुसार आयोजित होने वाले कार्यक्रम से 2 दिवस पूर्व निर्धारित स्थान पर लगाना होगा।

iv. फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए जिनके कारण सप्लाई अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।

v. निर्धारित की गई प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्धि की जा सकती है। ऐसे प्रकरणों के गुणावगुण के आधार पर संज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढ़ा सकेंगे।

7. माल एवं सेवाएँ :–

i. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नही करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

ii. यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश संविदा में दी गई दरों और शर्तों पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकेगी। पुरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल का 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

iii. अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश नहीं दिये जायेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

8. करार :–

i. सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात् आपूर्ति आदेश दिवा जावेगा। करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में एवं निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादन नही करने पर बोली निरस्त योग्य मानी जायेगी।

ii. बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

9. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि :–

1. **कार्य सम्पादन प्रतिभूति** : कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से ली जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ठ उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
2. यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हो तो उस वस्तु की लागत मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
3. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर होगी।
4. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु के लागत मूल्य के पाँच प्रतिशत (5 प्रतिशत) के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
5. इस राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

6. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, के नाम से निम्न रूप में दी जा जकेगी :–

(क) ''ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जना''

(ख) किसी अनुसचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर द्वारा।

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उसके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी/गारंटियां जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड) किसी अनुसूचित बैंक की नियम जमा रसीद (एफडीआर)।

यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोव (लगाने से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन जमा FDR ऐसी नियत जमा पर अर्जित व्याज के साथ समपहत की ली जायेगी।

(च) खण्ड 'ख' से 'ड़' के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे 60 दिवस की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

अन्य शर्ते एवं प्रावधान आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 75 के अनुसार लागू होंगे।

7. संविदा/अनुबंध के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नही है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय किया जाएगा।

8. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशिः कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नांकित मामलों में समपहरण पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:–

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि में समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

10. भुगतान :–

i. आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए गये माल के संबंध में, सामान्य वितीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।

ii. स्टेण्डी/बैनर/फ्लेक्स आदि की डिजाईन कार्य एवं प्रिंन्टिग कर विज्ञापन के कार्य का तकनीकी परीक्षण एवं सत्यापन विभाग के संबंधित अधिकारी (जिस कार्यक्रम के अनुभाग) द्वारा किए जाने एवं संतोषजनक पाए जाने पर भुगतान किया जायेगा।

iii. कार्य की गुणवत्ता मे कमी पाये जाने पर निर्देशित कार्य की लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जा सकेगी।

iv. किसी भी स्थिति मे किसी प्रकार के अग्रिम का भुगतान नही किया जायेगा।

11. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :–

परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period) में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए–2.5%

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए –5%

(ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु –7.5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए,

(घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए –10%

(ड) विलम्ब की अवधि में आधी दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई (हो, तो केन्द्र प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट– प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नहीं की जावेगी।

12. बोली शर्तों के अतिरिक्त कोई शर्ते स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध मे है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तों को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।

13. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

14. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

15. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये है, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होगे।

16. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।

17. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

18. अपील / मध्यस्थता किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में विवाद का निस्तारण Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules-2013 के अध्याय 7 के अनुसार किया जाएगा।

i. प्रथम अपील अधिकारी – अतिरिक्त मुख्य सचिव, कला, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

ii. द्वितीय अपील अधिकारी– शासन सचिव, वित्त बजट राजस्थान सरकार, जयपुर।

बोली की किसी भी स्तर पर उपापन संस्था द्वारा इसे रद्द किया जा सकेगा। .

परिशिष्ठ – "अ"

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

(on the letter head of firm)

मैं / हम घोषणा करता हैं/ करते है कि मैनें / हम बोली की शर्तो एवं जी–शिड्यूल के अनुसार कार्य की तकनीकी योग्यता एवं वांछित पंजीयन रखते हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ,ब,स एवं द तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप ये पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

मुझे / हमारी फर्म को किसी भी राजकीय संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और हमें गत तीन वर्षों मे संबंधित कार्य हेतु बहिष्कृत भी नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए जो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

परिशिष्ठ – "ब"

जवाहर कला केन्द्र
जे.एल.एल.मार्ग, जयपुर–302004
तकनीकी बिड़

क्र.सं.	विवरण	विवरण	संलग्न दस्तावेज का विवरण (दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करावें)
1	फर्म / संस्था / बिड दाता का नाम		
2	फर्म / संस्था / बिड दाता का अधिकृत पता		
3	फर्म / संस्था / बिड दाता के अधिकृत व्यक्ति का नाम (बोलीदाता फर्म के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)		
5	फर्म / संस्था / बिड दाता का पैन कार्ड नं.		
6	बोली प्रपत्र का शुल्क का विवरण		
7	बोली प्रतिभूति राशि का विवरण		
8	बोली प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण		
9.	बोली प्रपत्र में निर्देशित परिशिष्ट–अ.ब.स. तथा annexure A, B, C, D		
10	जी.एस.टी. पंजीयन संख्या		
	बोलीदाता फर्म के गठन / पंजीकरण संबंधित दस्तावेज पार्टनरशिप / कम्पनी / ट्रस्ट / या अन्य		
11	सरकारी विभागो / सरकार उपक्रमों में विगत तीन वर्षों (2022–23, 2023–24, 2024–25) में कार्य अनुभव का विवरण (निविदा की शर्तो के अनुसार)		
12	गत तीन वर्षों (2022–23, 2023–24, 2024–25) में औसत वार्षिक टर्न ओवर राशि रू. 25.00 लाख (निविदा की शर्तो के अनुसार)		
13	निविदा प्रपत्र की सत्यापित प्रति		

नोट :–

1. उपरोक्त दस्तावेज की सत्यापित प्रतियां ई–प्रोक पोर्टल पर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
2. तालिका अनुसार आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं करने पर बोलीदाता को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करके वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जायेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर
मोहर व दिनांक सहित

वित्तीय बोली

(वित्तीय दरें केवल ई–प्रोक पोर्टल पर ही अंकित करावें निविदा प्रपत्र में दरें अंकित करने पर इसे निरस्त माना जायेगा)

कार्य का नाम : जवाहर कला केन्द्र द्वारा समय–समय पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों मे बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य एवं प्रिन्टिंग कर विज्ञापन के कार्य की आपूर्ति का कार्य।

वित्तीय प्रस्ताव

क्र. सं.	कार्य का नाम एवं तकनीकी विवरण	दरें जो निविदादाता द्वारा दि जानी हैं (दर प्रति वर्ग फूट व प्रति नग) (जी.एस.टी. एवं अन्य प्रभार सहित)	
अ.) बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के डिजाईन कार्य			
1	ड्रापडाऊन डिजाईन	प्रति नग	
	स्टेण्डी डिजाईन	प्रति नग	
	होर्डिंग डिजाईन	प्रति नग	
	सनबोर्ड (पार्किंग वीआईपी हाउसफुल इत्यादि) डिजाईन	प्रति नग	
	बैकड्राप डिजाईन	प्रति नग	
	फ्लेक्स डिजाईन (बस/ई–रिक्शा) डिजाईन	प्रति नग	
	गेट डिजाईन	प्रति नग	
2	पोस्टर डिजाईन	प्रति नग	
	लिफ्लेट (6 फोल्ड) डिजाईन	प्रति नग	
	फ्लायर्स डिजाईन	प्रति नग	
	ब्रोशर/बुकलेट (36–40 पेज) डिजाईन	प्रति नग	
	ब्रोशर/बुकलेट (36–40 पेज) के अतिरिक्त प्रति पेज डिजाईन	प्रति नग	
3	फ्लायर्स (दिनांक एवं सेड्यूल) डिजाईन	प्रति नग	
	बैनर (फेसबुक/इंस्टाग्राम इत्यादि) डिजाईन	प्रति नग	
	पोस्टर डिजाईन	प्रति नग	
4	चौथाई पेज विज्ञापन डिजाईन	प्रति नग	
	आधा पेज विज्ञापन डिजाईन	प्रति नग	
	पूरा पेज विज्ञापन डिजाईन	प्रति नग	
	विज्ञापन एन.आई.टी. डिजाईन	प्रति नग	
5	**बैजेस डोरी डिजाईन सहित डिजाईन**	प्रति नग	
6	**सोविनियर डिजाईन**	प्रति नग	
7	**निमंत्रण पत्र मय लिफाफें डिजाईन**	प्रति नग	
8	**प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) डिजाईन**	प्रति नग	
ब.) बैनर, फ्लेक्स, प्रिन्टिंग मेटेरियल, विज्ञापन आदि के प्रिन्टिंग कर विज्ञापन के कार्य की आपूर्ति			
9	फ्रन्टलीट फ्लेक्स होर्डिंग्स लोहे के 20 गेज 25 x 25 mm^2 फ्रेम में कसा हुआ बनाकर निर्देशित स्थान पर आवश्यकतानुसार लगाना एवं उतारना (**लोहे के होर्डिंग का किराया एवं मजदूरी सहित**)		
	सोल्वेन्ट प्रिटिंग	प्रति वर्ग फुट	
	इको प्रिटिंग	प्रति वर्ग फुट	

10	[illegible] कर (बिना होर्डिंग्स लोहे के) निर्देशित स्थान पर केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये गए होर्डिंग पर आवश्यकतानुसार लगाना एवं उतारना (माल मजदूरी सहित)		
	सोल्वेन्ट प्रिटिंग	प्रति वर्ग फुट	
	इको प्रिटिंग	प्रति वर्ग फुट	
11	विनायल प्रिटिंग मैट लेमीनेशन व 5mm सन बोर्ड पर पेस्टिंग, माल मजदूरी सहित आवश्यकतानुसार लगाना एवं उतारना		
	सोल्वेन्ट प्रिटिंग	प्रति वर्ग फुट	
	इको प्रिटिंग	प्रति वर्ग फुट	
12	बैजेस डोरी कार्ड प्रिंन्टिग कर आपूर्ति के कार्य	प्रति नग	
13	गोल बैजेस 55 mm (जकके व अन्य डिजाईन सहित)	प्रति नग	
14	जूट बैग (डिजाईन सहित) 1. 16" x 14" 2. 17" x 14"	प्रति नग प्रति नग	
15	कैनवास बैग (डिजाईन सहित) 1. 16" x 14" 2. 17" x 14"	प्रति नग प्रति नग	
16	कुल राशि		

शर्ते :–

1. सभी कॉलम में दर भरना अनिवार्य है किसी भी कॉलम को रिक्त रखने पर स्पष्ट रूप से बिना कटींग व ऑवर राईटिंग के सम्पूर्ण सामग्री आपूरित करने के उपरान्त भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।
2. यदि किसी आईटम की दर रिक्त रखी जाती है अथवा 'शून्य' भरी जाती है तो वित्तीय बोली को निरस्त माना जाएगा।
3. न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण क्रम संख्या 16 में कुल राशि के आधार पर किया जायेगा। आईटम दरों की तुलना के आधार पर नेगोसियेशन का निर्णय उपापन संस्था द्वारा गुणावगुण के आधार पर किया जायेगा।

अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशा.)

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील)
निविदादाता फर्म का नाम/पता :–
फोन नम्बर मय सील सहित :–

RajKaj Ref No.: 21559577
eSign 1.0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anuradha Gogi
Designation : Additional Director General
Date: 2026.04.13 13:32:51 IST

Scanned with CamScanner

Annexure A

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency. Fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A. Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

   i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

      a. have controlling partners/ shareholders in common; or
      b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
      c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
      d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
      e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
      f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
      g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to.........................for procurement of............................. in response to their Notice Inviting Bids No. .... Dated......................... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Annexure-C

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Grievance Redressal during Procurement Process

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director, Minority Affairs Jaipur. The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary/Secretary Minority Affairs and Waqf Deptt, Jaipur.

1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

2) The officer to whom an appeal is filed under para (I) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (I) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,

i) Hear all the parties to appeal present before him; and

ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the mailer, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. I

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. .... of .... Before the .... (First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:
   (ii) Official address, if any:
   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s)
   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:
5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal :
   ....
   .... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :
   ....
   ....
   ....

Place ....
Date ....

Annexure - D

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) The Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not he more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the service provider fails to do so, the Procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the service provider.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods/services)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair. Transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.